सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2018/121 दायर दिनांक 20.04.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुरेश कुमार पुत्र गंगाराम, 2. रमेश कुमार पुत्र गंगाराम, 3. कमल किशोर पुत्र गंगाराम, सामस्त जाति महाजन, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. अरविन्द कुमार पुत्र गंगाराम, जाति महाजन, निवासीयान मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की और से।
2. मोहम्मद रफिक अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

–:: अन्तिम निर्णय ::– दिनांक 23.04.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या रकबा 4 बीघा वाके मौलासर स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी व कब्जा वादी नम्बर 03 व वादी नम्बर 03 के पिता स्व0 गंगाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा वादी व प्रतिवादीगण का हित एक ही है। नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 वाद के साथ पेश है। वर्तमान खसरा संख्या 227 के पुराने खसरा संख्या 175 रहे है। जिसका उल्लेख खसरा मिलान की नकल संवत् 2017 में है, खसरा मिलान की नकल वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 175 रकबा 22 बीघा वाके मौलासर की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में पूर्व में मंन्शाराम पुत्र बुधाराम खाती के नाम से थी, जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से जमाबन्दी संवत् 2006 में है, जमाबन्दी संवत् 2006 की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त खेत खसरा संख्या 175 रकबा 22 बीघा की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2010–2013 में भी मंन्शाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है। जमाबन्दी की नकल संवत् 2010 –13 वाद के साथ पेश है। तथा खेत खसरा संख्या 175 रकबा 22 बीघा वाके मौलासर में से खेत के तत्कालीन खातेदार मंन्शाराम ने उक्त खेत में से 18 बीघा का बेचाण दिनॉक 14.12.1971 को जोधाराम पुत्र भारूराम जाट निवासी मौलासर को कर दिया तथा शेश 4 बीघा खेत मंन्शाराम की खातेदारी में रह गया, जिसके खसरा संख्या 229/608 दर्ज हो गये।

पृष्ठ संख्या .....2..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जमाबंदी की नकल संवत् 2024–27 वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 227 में से 18 बीघा के खातेदार जोधाराम ने सम्पूर्ण 18 बीघा खेत का विक्रय मानाराम पुत्र भीवाराम को कर दिया। जिससे खसरा संख्या 227 मेंसे 18 बीघा की खातेदारी मानाराम पुत्र भींवाराम के नाम से दर्ज हो गयी तथा शेष 4 बीघा जिसके खसरा संख्या 229/608 हो गये की खातेदारी मन्शाराम के नाम थी। नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2031 तक की वाद के साथ पेश है। तथा जमाबन्दी संवत् 2031–34 में भी लगातार इसी प्रकार खसरा संख्या227 रकबा 18 बीघा की खातेदारी मानाराम पुत्र भींवाराम के नाम से व खसरा संख्या 229/608 रकबा 4 बीघा की खातेदारी मन्शाराम पुत्र बुधाराम के नाम से दर्ज रही है। नकल जमाबन्दी संवत् 2031–34 वाद के साथ पेश है। खसरा संख्या 229/608 रकबा 4 बीघा भूमि के तत्कालीन खातेदार मंन्शाराम ने अपनी सम्पूर्ण 4 बीघा भूमि का बेचाण जरिये रजिस्ट्री दिनॉक 16.07.1968 को वादी नम्बर 03 व वादी नम्बर 03 के पिता गंगाराम के नाम से कर वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था, जिसके आधार पर खेत की खातेदारी वादी नम्बर 03 व वादी नम्बर 03 के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी तथा खसरा संख्या 227 रकबा 18 बीघा की खातेदारी मानाराम के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके जायन्दा पुत्रो गणपतराम व गोविन्दसिंह के नाम से नामान्तरकरण दर्ज हो जाने से दर्ज हो गयी। जिसका उल्लेख जमाबंन्दी संवत् 2072–75 में है। जो वाद के साथ पेश है। इस प्रकार पुराने खसरा संख्या 175 के नये खसरा संख्या 227 कुल 22 बीघा खेत है। वादीगण के पिता गंगाराम का स्वर्गवास दिनॉक 25.11.2010 को हो गया तथा वादी की माता का भी स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय गंगाराम के चार जायन्दा पुत्र वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 है वर्तमान में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा है। जो शुरू से ही अबाध रूप से चला आ रहा है लेकिन जमाबन्दी में वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसके चार पुत्रो वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 उसके जायज वारिसान है। जिसके कारण उक्त खेत खसरा संख्या 229/608 की खातेदारी की घोषणा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम से की जाना कानूनन जरूरी है लेकिन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 229/608 तरमीम गल्त स्थान पर हो गया। तथा वादी नम्बर 03 व इसके पिता ने खसरा संख्या 227 में से 4 बीघा भूमि उतरी पश्चिमी क्रय की थी और उसी जगह पर खसरा संख्या 229/608 को तरमीम राजस्व नक्शा में करवानी है। वादीगण व वादीगण के पिता की क्रयसुदा व कब्जा सुद भूमि के पाड़ौस पूर्व में :–जोधाराम थे अब विक्रय के के कारण मानाराम के पुत्र गणपतराम व गोविन्दसिंह, पश्चिम में:– रामसागर तालाब की भूमि, उतर में :– हरबगस जी के पौत्र रामाकिशन वगैरह है व दक्षिण में :– जोधाराम थे, वर्तमान में गणपतराम व गोविन्दसिंह है।

पृष्ठ संख्या .....3..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उक्त पाड़ौस के बीच की भूमि खसरा संख्या 229/608 रकबा 4 बीघा जो खसरा संख्या 227 में से है तथा जिसके पुराने खसरा नम्बर 175 थे इसलिये खसरा संख्या 229/608 का अंकन खसरा संख्या 227 के उतरी पश्चिमी भाग में होना कानूनन जरूरी है, जबकि नक्शा ट्रैस वर्ष 1960–61 में खसरा संख्या 427 में पश्चिमी दक्षिणी कोने में वादी नम्बर 03 व पिता की खातेदारी के खसरा संख्या 229/608 का सहव से गल्त अंकन हो गया, जिसकी दुरूस्ती होनी जरूरी है। तथा राजस्व नक्शा सन् 2003 में इस खसरा संख्या 229/608 का अंकन ही नहीं है तथा न ही वर्तमान ट्रैस नक्शा में भी खसरा संख्या 229/608 का अंकन है, वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 खेत खसरा संख्या 229/608 की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाने व खसरा संख्या 229/608 के गल्त अंकन नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, जे, आई की जगह मार्क डी, ई, एफ, के का अंकन (तरमीम) करवाने के जायज व कानूनन अधिकारी है। अतः वादीगण को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। वादी ने इसे नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो वाद का भाग है, नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। तथा पुराने खसरा संख्या 175 रकबा 22 बीघा के नये खसरा संख्या 227 रकबा 18 बीघा व खसरा संख्या 229/608 रकबा 4 बीघा बन गये तथा मौके पर खसरा संख्या 175 का कुल रकबा 22 बीघा होता है और मौके पर भी 22 बीघा ही मौजुद है। मात्र खसरा संख्या 229/608 का अंकन ही होता है। तथा पास में ही खसरा संख्या 229 रकबा 8.15 बीघा गैर मुमकिन आबादी दर्ज है तथा मौके पर मौजुद है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया गया।

मौखिक साक्ष्य में वादी सुरेश ने आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रदर्श –1, नकल नक्शा सन् 1960–61 प्रदर्श –2, नक्शा ट्रैस सन् 2003 प्रदर्श –3, नक्शा ट्रैस सन् 1960–61 प्रदर्श –4, जमाबन्दी सम्वत् 2006 प्रदर्श –5, जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 प्रदर्श – 6 है, जमाबन्दी संम्वत् 2024 से 2031 प्रदर्श –7, जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 प्रदर्श –8 है, जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श –9 है, खसरा मिलान की नकल प्रदर्श –10 व 11 है, विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श 12 है, नजरी नक्शा प्रदर्श 13 पेश हुये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या .....4..... लगातार

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौलासर में स्थित खेत खसरा संख्या 229/608 का अंकन (तरमीम) राजस्व नक्शा सन् 1960–61 में खसरा संख्या 227 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में हुये गल्त अंकन नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, जे, आई, की जगह खसरा संख्या 227 के उतरी पश्चिमी भाग नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क डी, ई, एफ, के वर्तमान राजस्व नक्शा में अंकन (तरमीम) वादीगण के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी के चारो के नाम से खातेदारी घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/121 दायर दिनांक 20.04.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुरेश कुमार पुत्र गंगाराम, 2. रमेश कुमार पुत्र गंगाराम, 3. कमल किशोर पुत्र गंगाराम, समस्त जाति महाजन, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. अरविन्द कुमार पुत्र गंगाराम, जाति महाजन, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनांक :– 23.04..2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिह बलारा, रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादीगण मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा मौलासर पटवार क्षैत्र मौलासर भू–निरीक्षक क्षैत्र मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौलासर में स्थित खेत खसरा संख्या 229/608 का अंकन (तरमीम) राजस्व नक्शा सन् 1960–61 में खसरा संख्या 227 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में हुये गल्त अंकन नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, जे, आई, की जगह खसरा संख्या 227 के उतरी पश्चिमी भाग नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क डी, ई, एफ, के वर्तमान राजस्व नक्शा में अंकन (तरमीम) वादीगण के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी के चारो के नाम से खातेदारी घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.....–.....मुबलिंग.....मुबलिंग.....–.....बाबत.....–.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह .....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.04.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			थमजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner